न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 17/2023

उनवान

1. चेताराम पुत्र श्री हरदेव
2. मोहन पुत्र हरदेव

उम्र– व्यस्क जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
2 गोपीराम पुत्र रूडा
3 मगनी उर्फ भगनी पत्नी सुल्तान
4 मालीराम पुत्र सुल्तान
5 सरोज देवी पुत्री सुल्तान

उम्र– व्यस्क जाति बलाई निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

6 श्रवण देवी पत्नी गोविन्दराम रैगर उम्र व्यस्क जाति रैगर, निवासी ग्राम श्यामपुरा रैगरो का मोहल्ला तह0 विराटनगर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 12/7/23

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि ख.नं. 2081/2506 रकबा 0.18 है0, 2082/2507 रकबा 0.29 है0, 2085/2508 रकबा 0.17 है0, 2086 रकबा 0.45 है0, 2087 रकबा 0.48 है0, 2088 रकबा 1.00 है0 कुल किता 6 रकबा 2.57 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के समीप अप्रार्थीगण 2 से 6 की भूमि स्थित है। अप्राथीगण प्रार्थीगण की भूमि की सींव डोल को काटकर अपने खेत में मिलाने धमकी देते रहते है तथा प्रार्थीया की भूमि पर जबरन लठ के जोर से कब्जा करना चाहते है। तहसीलदार शाहपुरा के आदेश कमांक/सीमा/ 147 दिनांक 1.6.2015 की पालना में दिनांक 20.7.2015 को पटवारी हल्का रामपुरा के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 20.7.2015 के बाद से पडौसी खातेदारान भूमि दबाना व मौका स्थिति सींव काट काट कर कब्जा करने की फिराक में है जिस कारण सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर स्थायी सीमा पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण सं0 3, 4 व 5 की ओर से श्री टी एम वर्मा एडवोकेट ने स्वंय उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा तथा दिनांक 12.7.2023 को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया । शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे ।

विद्वान प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को जाहिर करते हुए अवगत कराया कि प्रश्नागत आराजी का पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.7.2015 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है पडौसी काश्तकार द्वारा स्थायी चिन्ह के अभाव में प्रार्थीगण की भूमि को दबाना प्रारम्भ कर दिया है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किय जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपनी भूमि को भी पत्थरगढी में शामिल कर आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया । वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया ।

हमने विद्वान अधिवक्तओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रश्नागत आराजी का दिनांक 20.7.2015 को पटवारी हल्का व अन्य पटवारियों के द्वारा सीमाज्ञान किया गया है ,प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। अप्रार्थीगण अपनी भूमि का भी सीमाज्ञान चाहता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि ख.नं. 2081/2506 रकबा 0.18 है0, 2082/2507 रकबा 0.29 है0, 2085/2508 रकबा 0.17 है0, 2086 रकबा 0.45 है0, 2087 रकबा 0.48 है0, 2088 रकबा 1.00 है0 कुल किता 6 रकबा 2.57 है0 वाके ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 20.7.2015 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे । तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2023 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर